

212 आर.टी.ए.

141/2022

संकेत कुमार

वकील:- अप्रार्थी:-.....

हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
--------------------------------	--

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी तक प्रशनगत आराजी चक 6 एच बड़ा के खाता संख्या 24/20 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 11 ता 14 व 15/1 तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 3,8,13,18 की कृषि भूमि के रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.09.2022 को पेश हो।

13-9-22 प्रार्थी द्वारा पेश वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी तक प्रशनगत आराजी चक 6 एच बड़ा के खाता संख्या 24/20 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 11 ता 14 व 15/1 तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 3,8,13,18 की कृषि भूमि के रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.09.2022 को पेश हो।

Hasan
 Hasan
 Hasan